# सम्पादक मण्डल की ओर से

सूचना का अधिकार को सार्वजनिक निकायों से सूचना प्राप्त करने के अधिकार सहित, न केवल प्रजातंत्र, जवाबदेही और कारगर भागीदारी के लिए बल्कि भूलभूत अधिकार के लिए भी निर्णायक माना गया है। यह अधिनियम भारतीय प्रजातंत्र के लिए मील का पत्थर स्वरूप है और देश के शासन में भागीदारी के लिए भी हमें अवसर प्रदान करता है तथा भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होता है। इस अधिनियम के बनने से पहले भारत में प्रजातांत्रिक संस्थानों में भागीदारी के प्रति लोगों में उदासीनता थी ।

वास्तव में, पिछले दशक में विश्व भर के देशों ने माना कि प्रजातंत्र के लिए सूचना का अधिकार बहुत ही आवश्यक है। सरकारी संस्थानों के प्रति विश्वास बनाना और उनकी विश्वसनीयता तथा प्रभाव को सुदृढ़ बनाने में सहायक होता है। इसलिए इसे और अधिक पारदर्शी बनाने का विकल्प चुना है । भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 में बना और तब से सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

हमारे प्रसंग में, पीएसयू होने के नाते, हम इस अधिनियम के सीमा क्षेत्र में आते हैं। हाल ही मे सम्पन्न हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम से हमने अनुभव किया कि आर टी आई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से वास्तव में हमें एक कुशल और संगठित सूचना प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने में मदद मिलती है। बहरहाल, इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमें इस के विभिन्न पहलुओं जैसे कानून के सीमा क्षेत्र, इसकी कार्यविधि आदि से भलीभांति परिचित होना होगा ताकि जनता द्वारा मांगी गई सूचना तथा अनुरोधों का प्रतिउत्तर दिया जा सके और अभिलेखों का रखरखाव सही ढंग से किया जा सके। हमें यह देखना होगा कि हम इस अधिनियम द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सके ओर यह अधिनियम हमारे लिए बोझ न बनकर एक उपयोगी साधन बन सके ।

# *From the Editorial Board*

Freedom of information, including the right to access information held by public bodies, has long been recognized not only as crucial to democracy, accountability and effective participation, but also as a fundamental human right. The Act is indeed a significant milestone in Indian democracy and truly enables every one of us to participate in the governenace of the country while acting as a deterrent to corrupt practices. Prior to this Act, one of the biggest problems facing democratic institutions in India was the general apathy and lack of participation of people who felt utterly helpless against the institutions of governance.

In fact, in the last decade, governments around the world have recognized that access to information is crucial for enhancing democratic engagement, building confidence in government institutions and strengthening their credibility and effectiveness and have therefore opted to become more open. In India, the Right to Information Act was enacted in June 2005 and since then a large number of requests for information has been made by the public.

In our context, as a PSU, we too fall under the purview of the Act. As we have learnt from the recently concluded training programme, having a positive attitude as far as RTI is concerned, will in fact help us develop an efficient and well organized information management system. However, it is imperative that for effective implementation of the Act we need to be fully conversant with aspects such as the scope of any law, the procedures by which people request information and how requests should be responded to, how to maintain and access records so that we are able to take advantage of the opportunities offered by the Act and so that the Act is seen as a positive benefit to us, rather than another burden.